नागर विमानन मंत्रालय

मांग संख्या 9

नागर विमानन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		4.29	230.03	234.32	4.29	230.03	234.32	5.77	236.46	242.23
पूंजी		*64.71*	*...*	*64.71*	*39.18*	*...*	*39.18*	*47.11*	*...*	*47.11*
जोड़		**69.00**	**230.03**	**299.03**	**43.47**	**230.03**	**273.50**	**52.88**	**236.46**	**289.34**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.55	5.55	...	5.71	5.71	...	5.80	5.80
नागर विमानन										
2. नागर विमानन महानिदेशक	3053	1.20	17.80	19.00	1.20	17.48	18.68	1.00	17.73	18.73
	5053	1.90	...	1.90	1.90	...	1.90	3.15	...	3.15
	जोड़	*3.10*	*17.80*	*20.90*	*3.10*	*17.48*	*20.58*	*4.15*	*17.73*	*21.88*
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3053	...	5.40	5.40	...	5.54	5.54	...	5.60	5.60
	5053	7.69	...	7.69	3.69	...	3.69	7.00	...	7.00
	जोड़	*7.69*	*5.40*	*13.09*	*3.69*	*5.54*	*9.23*	*7.00*	*5.60*	*12.60*
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री सेवा फीस के बदले विदेश यात्रा कर के हिस्से का भुगतान	3053	...	25.00	25.00	...	16.96	16.96	...	1.00	1.00
5. हज चार्टरों के प्रचालन के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	170.00	170.00	...	170.00	170.00	...	200.00	200.00
6. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को बेचे जाने वाले विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगी	3601	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सहायता	3053	...	...	...	...	8.03	8.03	...	...	...
8. सरकारी उद्यमों में निवेश	5053	25.11	...	25.11	12.45	...	12.45	14.19	...	14.19
	7053	23.11	...	23.11	16.79	...	16.79	17.48	...	17.48
	Total	*48.22*	*...*	*48.22*	*29.24*	*...*	*29.24*	*31.67*	*...*	*31.67*
9. अन्य व्यय	3053	3.09	3.80	6.89	3.09	3.80	6.89	4.77	3.80	8.57
	3601	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़	*3.09*	*3.85*	*6.94*	*3.09*	*3.85*	*6.94*	*4.77*	*3.85*	*8.62*
अन्य परिवहन सेवाएं										
10. रेलवे सुरक्षा आयुक्त	3075	...	2.46	2.46	...	2.50	2.50	...	2.52	2.52
घटाइए- कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3075	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
निवल		*...*	*2.42*	*2.42*	*...*	*2.46*	*2.46*	*...*	*2.48*	*2.48*
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	4552	6.90	...	6.90	4.35	...	4.35	5.29	...	5.29
कुल जोड़		***69.00***	***230.03***	***299.03***	***43.47***	***230.03***	***273.50***	***52.88***	***236.46***	***289.34***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
8.01 एयर इंडिया लि.	13053	1.00	857.70	858.70	...	803.09	803.09	1.00	599.81	600.81
8.02 इंडियन एयरलाइन्स लि.	13053	1.00	509.00	510.00	...	427.00	427.00	1.00	279.00	280.00
8.03 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	13053	53.12	942.93	996.05	33.59	683.70	717.29	34.96	765.04	800.00
8.04 पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	13053	...	133.80	133.80	...	72.50	72.50	...	81.45	81.45
8.05 भारतीय होटल निगम	13053	...	8.76	8.76	...	8.76	8.76	...	1.00	1.00
जोड़		**55.12**	**2452.19**	**2507.31**	**33.59**	**1995.05**	**2028.64**	**36.96**	**1726.30**	**1763.26**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. नागर विमानन	13053	69.00	2452.19	2521.19	43.47	1995.05	2038.52	52.88	1726.30	1779.18

1. इसमें मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. इस शीर्ष के अंतर्गत नागर विमानन महानिदेशालय और इसके क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के स्थापना व्यय और उपस्कर तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को किए जाने वाले भारत के अंशदान के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

3. यह व्यवस्था नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के स्थापना व्यय को पूरा करने और उपस्करों तथा सहायक उपकरणों की अधिप्राप्ति और कार्यालय की इमारत के निर्माण से संबंधित सिविल निर्माण कार्यों के लिए की गई है।

4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिनांक 01.04.2001 से प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर पीएसएफ की अनुमति दे दी गई है। यह स्कीम 1.4.2001से समाप्त हो गई है। वर्ष 2003-04 के दौरान लंबित दावों जिन्हें वित्त मंत्रालय (सीबीईसी) द्वारा लेखों के असमाधान की वजह से निपटाया न जा सका, का ध्यान रखने के लिए एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

5. यह व्यवस्था हज चार्टरों के प्रचालन के लिए एयर इंडिया लिमिटेड और ईंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड को आर्थिक सहायता की अदायगी के लिए है।

6. यह शीर्ष एयर इंडिया लिमिटेड सहित अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा संबंधित राज्यों में स्थित हवाईअड्डों से लिए गए विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परित्यक्त राजस्व की प्रतिपूर्ति के लिए था। यह स्कीम 1.12.1994 से समाप्त कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लंबित दावों को वर्ष 2001-02 के दौरान निपटा लिया गया है। अतः ब.अ. 2002-03 में 1 लाख रुपये के सांकेतिक प्रावधान की तुलना में वर्ष 2003-04 के दौरान कोई प्रावधान नहीं रखा गया ।

7. स.अ. 2002-03 में की गयी यह व्यवस्था एमएटीएस-बीडी परियोजना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ओडीए अनुदान के संबंध में प्रतिरूप रुपया निधियों में जमा करने में विलंब के कारण ब्याज माफी के लिए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सब्सिडी देने के लिए है। इस व्यवस्था की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाती है तथा यह लेखांकन समायोजन स्वरूप का है ताकि सरकार का ब्याज माफी का निर्णय प्रभावी हो सके और कोई नकद व्यय इसमें शामिल न हो।

8. इस शीर्ष के अधीन आवंटन (?)अमृतसर हवाई अड्डे के उन्नयन और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम और जम्मू और कश्मीर, लेह और लक्षद्वीप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न हवाईअड्डों के लिए प्रचालनात्मक सुधार की व्यवस्था करने और (??) एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड से संबद्ध विमानों के अधिग्रहण के लिए इक्विटी के भुगतान हेतु सांकेतिक प्रावधान करने के लिए बजटीय सहायता जारी करने के लिए है।

9. यह व्यवस्था फ्लाई/ग्लाइडिंग क्लबों, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एयरो क्लब ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए है।

10. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यवस्था रेल यात्रा की सुरक्षा और प्रचालन से संबंधित रेलवे सुरक्षा आयोग के स्थापना व्यय और भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए है।

11. यह पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान है।

Website : http://indiabudget.nic.in